भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001

सं. - पीएन/ईसीआई/2017 दिनांक:16 मार्च, 2017

विषय: इलेक्ट्रनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता-तत्सम्बन्धी।

प्रेस नोट

1. भारत निर्वाचन आयोग ने यह पाया है कि गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राज्य विधान सभाओं के हाल में आयोजित साधारण निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के उपरांत, कुछ राजनीतिक दलों ने, उक्त निर्वाचनों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में हेर-फेर किए जाने का आरोप लगाते हुए, भारत निर्वाचन आयोग की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईसीआई-ईवीएम) की विश्वसनीयता के विरूद्ध आवाज उठाई है। एक अभ्यावेदन बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के राष्ट्रीय महासचिव से बिना कोई विनिर्दिष्ट आरोप के 11.03.2017 को प्राप्त हुआ था। आयोग ने अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए 11.03.2017 को ही बसपा को विस्तृत प्रत्युत्तर दे दिया है। आयोग का उत्तर www.eci.in पर उपलब्ध है।

2. ईसीआई-ईवीएम के साथ कथित रूप से हेर-फेर किए जा सकने के बारे में ऐसी चिंताएं पहले भी, इनका प्रचलन शुरू करने के समय से ही और उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी उठाई जाती रही हैं। ये आरोप खारिज़ कर दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग साफ-साफ शब्दों में दोहराता है कि कारगर तकनीकी एवं प्रशासनिक रक्षोपायों को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हेर-फेर किए जाने लायक नहीं हैं और निर्वाचकीय प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा परिरक्षित है।

3. इस विषयक कुछेक तथ्यों पर एक बार फिर गौर करना नागरिकों एवं सभी संबंधितों की सूचना के लिए उपयोगी होगा।

4. **<u>ईवीएम की पृष्ठभूमि</u>**

मत पत्रों के इस्तेमाल से जुड़ी कतिपय समस्याओं को दूर करने और प्रौद्योगिकीय प्रगति का इस दृष्टि से फायदा उठाने के उद्देश्य से कि मतदाता बिना किसी परिणामी संदिग्धता के अपने मत सही तरीके से डालें और अमान्य मतों की संभावनाएं पूरी तरह समाप्त हो जाएं, आयोग ने दिसंबर, 1977 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का विचार प्रस्तुत किया। संसद द्वारा विधि में दिसंबर, 1988 में संशोधन किया गया और वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करने के लिए आयोग को समर्थ बनाते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एक नई धारा 61क अंत:स्थापित की गई। संशोधित उपबंध 15 मार्च, 1989 से लागू हुए।

केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, 1990 में कई मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय एवं राजयीय दलों के प्रतिनिधियों से बनी निर्वाचकीय सुधार समिति नियुक्त की। निर्वाचन सुधार समिति ने और आगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मूल्यांकन के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें एक सुरक्षित प्रणाली है। इसलिए, विशेषज्ञ समिति ने अप्रैल, 1990 में सर्वसम्मति से बिना कोई समय गंवाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करने की सिफारिश की।

5. वर्ष 2000 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का राज्य विधान सभाओं के 107 साधारण निर्वाचनों और 2004, 2009 और 2014 में आयोजित हुए लोक सभा के 3 साधारण निर्वाचनों में इस्तेमाल हो चुका है।

6. **<u>इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल पर न्यायिक निर्णय</u>**

ईवीएम के साथ संभावित हेर-फेर करने का मामला 2001 से विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष उठाया गया है जैसाकि नीचे उल्लिखित है:-

(क) मद्रास उच्च न्यायालय-2001

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय-2004

(ग) कर्नाटक उच्च न्यायालय-2004

(घ) केरल उच्च न्यायालय-2002

(ङ) बंबई उच्च न्यायालय (नागपुर पीठ)-2004

उपर्युक्त सभी उच्च न्यायालयों ने भारत में निर्वाचनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल में शामिल प्रौद्योगिकीय पूर्णता एवं प्रशासनिक उपायों के सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें प्रामाणिक, विश्वसनीय और हेर-फेर किए जाने से पूरी तरह सुरक्षित हैं। इनमें से कुछेक मामलों में, उच्चतम न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध कुछ याचिकाकर्त्ताओं द्वारा दायर की गई अपीलों को खारिज़ कर दिया है।

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "यह आविष्कार निस्संदेह इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में एक महान उपलब्धि है और यह एक राष्ट्रीय गौरव है"। कर्नाटक उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय दोनों ने टिप्पणी की है कि निर्वाचन में ईवीएम के इस्तेमाल के मत पत्र/मत पेटी निर्वाचन की प्रणाली की तुलना में अनेक फायदे हैं। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने ईवीएम में हेर-फेर किए जाने की किसी भी शंका से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान दिया जा सकता है।

"कोई भी वाइरस या बग इस कारण से प्रारम्भ करने का भी कोई प्रश्न नहीं है कि ईवीएम की किसी पर्सनल कम्प्यूटर से तुलना नहीं की जा सकती"। कम्प्यूटरों में प्रोग्रामिंग का, जैसा कि सुझाया गया है, ईवीएम से कोई सरोकार नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन वाले कम्प्यूटर की अंतर्निहित सीमितताएं होंगी और वे अपनी अभिकल्पना से ही प्रोग्राम में परिवर्तन करने की अनुमति दे सकती हैं लेकिन, ईवीएम स्वतंत्र इकाईयां हैं और ईवीएम का प्रोग्राम पूरी तरह से एक भिन्न प्रणाली है"।

ऐसे मामलों में से किसी एक में माननीय केरल उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 6.2.2002 में मैकेनिज्म की दक्षता पर अपनी सराहना अभिलिखित की है। उक्त निर्वाचन याचिका में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील (एआईआर 2003 उच्चतम न्यायालय 2271) में मान्य ठहराया गया था।

विभिन्न न्यायालयों के समक्ष यह अभिस्वीकृत किया गया है कि भारत में ईवीएम में प्रयुक्त डाटा या तकनीक पाइरेसी के अधीन नहीं थी क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार

की विषय-वस्तु के बारे में कुछ भी नहीं जानता है या किसी भी व्यक्ति की ईवीएम तक अनधिकृत या बेरोकटोक पहुंच नहीं है।

तदुपरांत, राजनीतिक दलों द्वारा लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2009 के बाद फिर यह कहते हुए विवाद खड़ा किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें त्रुटिमुक्त नहीं थीं और इनमें छेड़छाड़ किए जाने की गुंजाइश है। हालांकि, न तो कोई विनिर्दिष्ट आरोप लगाया गया था और न ही वे किसी न्यायालय के समक्ष साबित कर पाए।

कुछ एक्टिविस्टों ने 2009 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखी। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष जाने की सलाह दी। यह तभी हुआ कि इन एक्टिविस्टों ने संवाद करने की शुरुआत की और आयोग ने हर किसी को खुली चुनौती दी कि वे यह प्रदर्शित करके दिखा दें कि आयोग की स्वामित्व वाली मशीन में हेर-फेर किया जा सकता है। हालांकि, आयोग द्वारा मौका दिए जाने, मशीनें खोली जाने और भीतरी कल-पुरजे दिखाए जाने के बावजूद, कोई भी व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग के मुख्यालय में मशीन के साथ किसी भी प्रकार की हेर-फेर किए जा सकने का प्रदर्शन नहीं कर सका। इन कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी भी की गई थी।

एक असाधारण उपाय के रूप में आयोग ने उन लोगों को आमन्त्रित किया जिन्होंने इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन (ईवीएम) पर आपत्तियां व्यक्त की थी और उनसे कहा गया कि वे आएं और 3 से 8 अगस्त, 2009 तक लगाए गए अपने आरोपों में उल्लिखित बिन्दुओं को प्रदर्शित करें। जिन्हें आमन्त्रित किया गया उनमें राजनीतिक दल, विभिन्न न्यायालयों के समक्ष याचिकाकर्त्ता और कुछ व्यक्ति विशेष जो इस विषय पर आयोग को लिख रहे थे, शामिल थे। एक सौ ईवीएम दस राज्यों नामतः, आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिल नाडु और उत्तर प्रदेश से मंगवाई गई और उन्हें जांच तथा कथित अविश्वसनीयता सिद्ध करने की प्रयोज्यता के लिए आयोग के कार्यालय में तैयार रखा गया। ईवीएमों को एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह तथा ईवीएम विनिर्माताओं बीईएल तथा ईसीआईएल का प्रतिनिधित्व करने वाले इंजीनियरों की उपस्थिति में ऐसे प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत किया गया। इस प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि जिन व्यक्तियों को अवसर दिया गया था उन में से कोई भी ईसीआई-ईवीएमों के साथ कोई छेडछाड़ किए जाने वाले लक्षणों को

वास्तव में प्रदर्शित नहीं कर सका। वे या तो असमर्थ हो गए या उन्होंने प्रदर्शन करने से इन्कार कर दिया।

तब कुछ सक्रियतावादियों ने टीवी चैनल पर एक 'मशीन' को दिखाया जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि उसके साथ गडबड़ी की जा सकती है। भारत निर्वाचन आयोग ने आरोप का प्रतिकार किया कि यह मशीन मुम्बई में ईवीएम गोदाम से चुराई गई थी और इसमे सक्रियतावादियों ने कुछ परिवर्तन किए और इस प्रकार अब यह वह 'मशीन' नहीं थी जो भारत निर्वाचन आयोग प्रयोग में लाता है।

वर्ष 2010 में, असम तथा तमिलनाडु से कुछ राजनीतिक दलों को छोड़कर, सभी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित एक बैठक में ईवीएमों की कार्यप्रणाली पर संतुष्टि व्यक्त की। इस चरण में, इसके और आगे अनुसंधान के लिए वीवीपीएटी का विचार प्रस्तावित किया गया।

वर्ष 2009 में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक मामले में ईवीएम के साथ छेडछाड़ के सभी पूर्व आरोपों को उठाया गया। हालांकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, भारत निर्वाचन आयोग के विस्तृत उत्तर से संतुष्ट था कि किस प्रकार ईवीएम के साथ छेडछाड़ नहीं की जा सकती और भारत निर्वाचन आयोग के वीवीपीएटी विकसित करने से वर्ष 2012 में मामला निर्णीत हो गया और उसका निस्तारण हो गया कि वीवीपीएटी राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करके विकसित की जाए।

7. ईसीआई द्वारा प्रयुक्त ईवीएमों की तकनीकी सुरक्षा

(क) इस मशीन के साथ छेड़छाड़ करने/इसमें गडबड़ी करने से रोकने के लिए इसे इलेक्ट्रानिक रूप से संरक्षित किया जाता है। इन मशीनों में प्रयुक्त प्रोग्राम (सॉफ्टवेयर) को एक-बारगी प्रोग्रामेबल (ओटीपी)/मास्कड चिप में बर्न किया जाता है ताकि इसे बदला या इससे छेड़छाड़ न की जा सके। इसके अतिरिक्त इन मशीनों को किसी अन्य मशीन या सिस्टम द्वारा वायर या वायरलेस से नेटबद्ध नही किया जाता है। अत:, इसमें डाटा विकृत होने की कोई संभावना नहीं है।

(ख) ईवीएम के सॉफ्टवेयर को बीईएल (रक्षा मंत्रालय का पीएसयू) और ईसीआईएल (परमाणु उर्जा मंत्रालय का पीएसयू) में एक दूसरे से भिन्न इंजीनियरों के चयनित समूह द्वारा इन-हाउस रूप से तैयार किया जाता है। दो-तीन इंजीनियरों का चुनिंदा सॉफ्टवेयर डवलपमेंट समूह सोर्स कोड तैयार करता है और इस कार्य को उप संविदा पर नहीं दिया जाता है।

(ग) सॉफ्टवेयर डिजाइन के पूर्ण हो जाने के पश्चात सॉफ्टवेयर अपेक्षाओं के विनिर्देशों (एसआरएस) के अनुसार स्वतंत्र परीक्षण समूह द्वारा सॉफ्टवेयर का मूल्यांकन और परीक्षण किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सॉफ्टवेयर को इसके अभीष्ट प्रयोग के लिए निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है।

(घ) ऐसे मूल्यांकन के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के पश्चात, सोर्स प्रोग्राम का मशीन कोड माइक्रो कंट्रोलर विनिर्माता को दिया जाता है ताकि इसे माइक्रो कंट्रोलर में राइट किया जा सके। इस मशीन कोड से सोर्स कोड को पढ़ा नहीं जा सकता। सोर्स कोड को कभी भी पीएसयू के सॉफ्टवेयर समूह के बाहर किसी को भी सुपुर्द नहीं किया जाता है।

(ङ) प्रारंभतः, माइक्रो कंट्रोलर विनिर्माता मूल्यांकन हेतु पीएसयू को इंजीनिरिंग नमूने उपलब्ध कराता है। इन नमूनों को ईवीएम में एसेम्बल किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और व्यापक रूप से इसकी प्रकार्यत्मकता हेतु सत्यापन किया जाता है। इस सत्यापन के सफलतापूर्वक समापन के पश्चात ही पीएसयू द्वारा माइक्रो कंट्रोलर विनिर्माता को थोक में इसका उत्पादन करने की सहमति दी जाती है।

(च) हर समय ईवीएम के लिए सोर्स कोड को नियंत्रित परिस्थितियों में रखा जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसकी पहुंच केवल प्राधिकृत व्यक्तियों तक ही हो, नियंत्रण और संतुलन बनाया जाता है।

(छ) फैक्टरी में उत्पादन के दौरान निर्धारित गुणवत्ता योजना और कार्य निष्पादन परीक्षण प्रक्रियाओं के अनुसार, उत्पादन समूह द्वारा क्रियात्मक परीक्षण किया जाता है।

(ज) सॉफ्टवेयर को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि यह मतदाता को केवल एक बार ही मत डालने की अनुमति देता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट पर बैलेट को सक्षम बनाने के पश्चात ही बैलेट यूनिट से निर्वाचक द्वारा वोट रिकार्ड किया जा सकता है।

मशीन किसी भी समय बाहर से कोई सिग्नल प्राप्त नहीं करती है। अगला वोट तभी रिकार्ड किया जा सकता है जब पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर बैलेट को सक्षमकारी बना देता है। इस बीच मशीन बाहर के किसी भी सिग्नल (कंट्रोल यूनिट को छोड़कर) के प्रति निष्क्रिय हो जाती है।

(झ) गुणता आश्वासन समूह, जो कि पीएसयूओं के मध्य एक स्वतंत्र इकाई है, के द्वारा उत्पादन बैचों से ईवीएमों के नमूनों की नियमित जांच की जाती है।

(ञ) ईसीआई-ईवीएम में वर्ष 2006 में कुछ अतिरिक्त विशिष्टियां प्रारंभ की गई थीं यथा बैलेट यूनिट (बीयू) और कंट्रोल यूनिट (सीयू) के बीच डाइनेमिक कोडिंग, रियल टाइम क्लॉक लगाना, फुल डिस्पले (पूर्ण प्रदर्शन) प्रणाली लगाना और ईवीएम में प्रत्येक की-दबाने का समय एवं तारीख का मुद्रांकन करना।

(ट) वर्ष 2006 में तकनीकी मूल्यांकन समिति ने निष्कर्ष निकाला कि वायरलेस, या बाहरी या ब्लूटूथ अथवा वाईफाई के माध्यम से कोडेड सिग्नल द्वारा कंट्रोल यूनिट से किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकती क्योंकि कंट्रोल यूनिट में उच्च आवृति रिसीवर और डाटा डीकोडर नहीं है। कंट्रोल यूनिट केवल बैलेट यूनिट से विशेष रूप से कोडीकरण किए गए और डायनेमिक रूप से कोडेड डाटा को ही स्वीकार करता है। कंट्रोल यूनिट द्वारा किसी भी प्रकार के बाहरी स्त्रोत का कोई भी डाटा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

8. <u>ईसीआई-ईवीएम की विलक्षणता</u>

कुछ राजनैतिक दलों ने कहा है कि कुछ बाहरी देशों में ईवीएम का प्रयोग बंद कर दिया गया है। आयोग के समक्ष ईसीआई-ईवीएम और बाहरी देशों में प्रयुक्त ईवीएम की तुलना की गई है। ऐसी तुलना गलत और गुमराह करने वाली है। ईसीआई-ईवीएम अपने आप में एक विशिष्ट मशीन है। इसलिए ईसीआई-ईवीएम की अन्य देशों की मशीनों से तुलना नहीं की जा सकती है।

(क) अन्य देशों में प्रयुक्त बहुत सी प्रणालियां इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित कम्प्यूटर आधारित हैं। अत:, इनकी आसानी से हैकिंग की जा सकती है।

(ख) जैसा कि ऊपर कहा गया है ईसीआई-ईवीएम चिप में सॉफ्टवेयर एक-बारगी प्रोग्रामेबल (ओटीपी) है और उत्पादन के समय ही इसे चिप में बर्न कर दिया जाता है। निर्माण के पश्चात चिप पर कुछ भी लिखा नहीं जा सकता। इसलिए ईसीआई-ईवीएम बाहर के विभिन्न देशों में अपनाई गई मतदान तशीनों तथा प्रक्रियाओं से मूल रूप से भिन्न है।

(ग) विदेश अध्ययन या अन्यत्र प्रयोग किए जाने वाले ईवीएम पर आधारित आपरेटिंग सिस्टम पर आधारित कोई भी अनुमान पूर्णत: भ्रांतिपूर्ण होगा। ईसीआई-ईवीएम की तुलना उन ईवीएम से नहीं की जा सकती।

9. <u>प्रक्रियात्मक तथा प्रशासनिक सुरक्षा</u>

आयोग ने किसी भी संभावित दुष्प्रयोग या प्रक्रियात्मक खामियों का निवारण करने के उद्देश्य से सुरक्षा उपायों तथा प्रक्रियात्मक नियंत्रण एवं संतुलन की व्यापक प्रशासनिक व्यवस्था की है। इन सुरक्षा उपायों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा उनके प्रतिनिधियों के सक्रिय तथा दस्तावेजी समावेशन से प्रत्येक स्तर पर पारदर्शी रूप से लागू किया जाता है ताकि ईवीएम की क्षमता तथा विश्वसनीयता पर उनका विश्वास बनाया रखा जाए। ये सुरक्षा उपाय हैं :-

(क) प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्माणकत्ताओं के इंजीनियरों द्वारा निर्वाचन में प्रयोग किए जाने वाले प्रत्येक ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की जाती है। किसी भी गड़बड़ी वाले ईवीएम को अलग रखा जाता है तथा उसे निर्वाचन में प्रयोग नहीं किया जाता।

(ख) निर्माणकर्ता प्रथम स्तरीय जांच के समय यह प्रमाणित करते हैं कि ईवीएम में लगे सभी उपकरण वास्तविक हैं। इसके पश्चात, ईवीएम के कंट्रोल यूनिट के प्लास्टिक कैबिनेट को ''पिंक पेपर सील'' का प्रयोग करके मुहरबंद किया जाता है, जिस पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है और इसे स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। इस चरण के पश्चात, ईवीएम की कंट्रोल यूनिट के प्लास्टिक कैबिनेट को खोला नहीं जा सकता। ईवीएम के अन्दर के किसी भी उपकरण को देखा नहीं जा सकता।

(ग) इसके अतिरिक्त, प्रथम स्तरीय जांच के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा यादृच्छिक रूप से चुने गए 5% ईवीएम पर उनके द्वारा कम से कम 1000 वोट डाले जाते हैं। ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच के समय कम से कम 5% ईवीएम पर इस मॉक पोल के परिणामों का एक प्रिंट आऊट तथा मॉक पोल के दौरान डाले गए प्रत्येक मत का आनुक्रमिक प्रिंट आऊट लिया जाता है तथा राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को दिखाया जाता है। इस प्रयोजन के लिए राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को यादृच्छिक रूप से मशीनें चुनने की अनुमति दी जाती है। शेष मशीनों में, मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए संतोषजनक होती है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्वयं मॉक पोल करने की अनुमति होती है। जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा इन सभी का रिकार्ड रखा जाता है।

(घ) तत्पश्चात रखे गए ईवीएम को मतदान केन्द्रों में वितरित करने से पूर्व अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा दो बार यादृच्छिकीकृत किया जाता है, एक बार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मशीनों को आबंटित करने के लिए तथा दूसरी बार मतदान केन्द्रों में आबंटित करने के लिए। किसी विशेष मतदान केन्द्र को आबंटित ईवीएम की क्रम संख्या वाले ईवीएम की ऐसी सूचियों को राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाता है।

(ङ) अभ्यर्थियों तथा उनके प्रतिनिधियों को अभ्यर्थी सेटिंग के समय तथा मतदान के दिन वास्तविक मतदान से पूर्व भी ईवीएम पर मॉक पोल कराने की अनुमति दी जाती है ताकि वे प्रयोग किए जा रहे ईवीएम की कार्य प्रणाली से संतुष्ट हो सकें।

(च) अभ्यर्थी सेटिंग होने के पश्चात, ईवीएम के बैलेट यूनिट को भी थ्रेड/पिकं पेपर सील से मुहरबंद कर दिया जाता है ताकि बैलेट युनिट के भीतर भी कोई देख न सके। इन पिंक सीलों पर भी राजनीतिक दलों/अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होते हैं।

(छ) ईवीएम की तैयारी तथा अभ्यार्थी सेटिंग के दौरान कम से कम 5% ईवीएम का मॉक पोल के परिणामों का प्रिन्ट आउट तथा मॉक पोल के दौरान डालेगए प्रत्येक वोट का आनुक्रमिक प्रिन्ट आउट भी लिया जाता है तथा इन्हें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिखाया जाता है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इस प्रयोजन के लिए यादृच्छिक रूप से मशीन चुनने की अनुमति होती है।

(ज) मतदान के दिन अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों/मतदान एजेन्टों के हस्ताक्षर लेकर उनकी उपस्थिति मे प्रत्येक मतदान केन्द्र में कम से कम 50 वोट डालकर एक मॉक पोल आयोजित किया जाता है और प्रत्येक पीठासीन अधिकारी से इस आशय का एक मॉक-पोल प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है।

(झ) मॉक पोल के समाप्त होने के बाद मतदान के संचालन के लिए प्रयोग किए जाने वाले ईवीएम को छोड़कर ईवीएम पर दूसरी थ्रेड सील तथा ग्रीन पेपर सील लगाई जाती है ताकि ईवीएम के सभी बटनों पर पहुंच को रोका जा सके। इन पेपर सीलों और धागा सीलों को मतदान एजेंट द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की अनुमति है। मतदान पूरा हो जाने के बाद, पीठासीन अधिकारी मतदान एजेंट की उपस्थिति में ईवीएम पर 'क्लोज' बटन दबाता है। उसके बाद ईवीएम में कोई मत नहीं डाला जा सकता है।

(ञ) इसके पश्चात पूरे ईवीएम को सील कर दिया जाता है, अभ्यर्थियों और उनके एजेंटों को सील पर उनके हस्ताक्षर करने दिया जाता है, जिनकी वे गणना से पहले सील की अखण्ड़ता के लिए जांच कर सकते हैं। अभ्यर्थी/प्रतिनिधि मतदान केन्द्र से, गणना भंडारण कक्ष तक ईवीएम को ले जा रहे वाहनों के पीछे पीछे चलते रहते हैं।

(ट) इसके अतिरिक्त, गणना के लिए ईवीएम का भंडारण किए गए स्ट्रांग रूम को भी सील कर दिया जाता है और चौबीसों घंटे उसकी निगरानी की जाती है। अभ्यर्थियों और उनके प्रतिनिधियों को स्ट्रांग रूम पर उनकी सीलें लगाने की अनुमति दी जाती है। उन्हें भी स्ट्रांग रूम पर चौबीसों घंटे निगरानी रखने की अनुमति दी जाती है। भंडारण कक्षों के चारों ओर बहु स्तरीय सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं।

(ठ) सभी राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों को एफएलसी, मतदान से पहले ईवीएम की तैयारी, छ्द्म मतदान आदि में भाग लेने का अवसर दिया जाता है।

10. <u>वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी)</u>

भारत निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राजनैतिक दलों के परामर्श से वर्ष 2010 में वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) का प्रयोग शुरू करने पर विचार किया। वीवीपीएटी को आरंभ करने का तात्पर्य था कि एक पेपर की पर्ची तैयार की जाती है जिसमें कन्ट्रोल यूनिट में मतदान को रिकार्ड करने के साथ-साथ अभ्यर्थी का नाम और चिह्न भी आ जाता है, ताकि किसी विवाद की स्थिति में ईवीएम पर दिखाए जा रहे

परिणाम की जांच करने के लिए पेपर पर्ची की गणना की जा सके। वीवीपीएटी के अन्तर्गत एक प्रिंटर को बैलेट यूनिट के साथ संलग्न किया जाता है और उसे मतदान कक्ष में रख दिया जाता है। पारदर्शी खिड़की के माध्यम से पेपर पर्ची वीवीपीएटी पर 7 सेकंडों के लिए दिखायी पड़ती है। बीईएल/ईसीआईएल द्वारा बनाए गए वीवीपीएटी के डिजाइन को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 2013 में अनुमोदित किया गया था और उन लोगों में दिखाया गया था जो उच्चतम न्यायालय में इन मामलों का अनुसरण कर रहे थे। नियमों का संशोधन किया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने वीवीपीएटी का प्रयोग वर्ष 2013 में नागालैंड उपचुनाव में किया, जो अत्याधिक सफल रहा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वीवीपीएटी को चरणों में शुरू करने का आदेश दिया तथा प्रापण के लिए सरकार को निधियां स्वीकृत करने के लिए कहा।

इस संबंध में वर्ष 2014 में, आयोग ने वर्ष 2019 में होने वाले लोक सभा के अगले साधारण निर्वाचन में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर वीवीपीएटी के कार्यान्वयन को प्रस्तावित किया तथा सरकार से रु. 3174 करोड की निधि की मांग की। मान्नीय उच्चतम न्यायालय ने भी आयोग को चरणबद्ध तरीके से वीवीपीएटी का कार्यान्वयन करने की अनुमति दी।

माननीय उच्चतम न्यायालय में, चल रहे मामले में आयोग ने मार्च, 2017 में उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि आयोग सरकार द्वारा निधि के अवमुक्त होने के समय से 30 महीने के समय में निर्मित वीवीपीएटी की अपेक्षित संख्या प्राप्त कर लेगा।

भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2013 में 20,000 वीवीपीएटी प्राप्त की तथा तब से 143 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त, वीवीपीएटी के और आगे उपयोग के लिए, वर्ष 2016 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया द्वारा 33,500 वीवीपीएटी का निर्माण किया गया था। अब तक, 255 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा 09 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का उपयोग किया गया है। गोवा निर्वाचन, 2017 में वीवीपीएटी सभी 40 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में नियोजित की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों जहां हाल ही में निर्वाचन आयोजित किए गए थे, में लगभग 52,000 वीवीपीएटी नियोजित किए। वर्ष 2014 से, भारत निर्वाचन आयोग, वीवीपीएटी की अपेक्षित संख्या के लिए रु. 3174 करोड़ की निधि की मंजूरी तथा अवमुक्ति के लिए सरकार

के साथ लगातार सम्पर्क कर रहा है ताकि वे लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में उपयोग की जा सकें।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया कि आयोग ने निर्वाचनों में ईवीएम की त्रुटि-मुक्त कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित व्यापक तकनीक एवं प्रशासनिक तंत्र का उपयोग किया है। अतः आयोग ईसीआई-ईवीएम की छेड़छाड़ रहित कार्य प्रणाली से पूरी तरह संतुष्ट है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि ऐसे आरोप तथा संदेह पहली बार नहीं उठाए गए हैं। यहां तक कि पूर्व अवसरों पर, आयोग ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किए जाने के आरोप लगाने वालों को एक से अधिक बार अवसर प्रदान किया है परंतु कोई भी आयोग के समक्ष यह प्रदर्शन करने में समर्थ नहीं हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम और देश की निर्वाचन प्रक्रिया में उपयोग की गई ईवीएम में कोई हेरफेर या उससे कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। आयोग को इन आरोपों में कोई मेरिट नहीं मिली है और वह कुछ राजनैतिक दलों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों और व्यक्त संदेहों का खंडन करता है।

भारत निर्वाचन आयोग सभी नागरिकों को आश्वस्त करता है कि भारत निर्वाचन आयोग की इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों से छेड़छाड़/गड़ब़ड़ी नहीं की जा सकती एवं इन मशीनों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया की सत्य निष्ठा से वह पूरी तरह संतुष्ट है। आयोग चरणबद्ध रूप से वीवीपीएटी का उपयोग करते हुए अपनी इस निर्वाचन प्रक्रिया में नागरिकों के विश्वास को ओर मजबूत करेगा।

इसके अतिरिक्त, भारत निर्वाचन आयोग में हाल ही में सम्पन्न निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ईवीएम से कथित छेड़छाड़/गड़बड़ी के बारे में किसी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी से कोई विशिष्ट शिकायत अथवा ठोस सामग्री/साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इस स्थिति में, आधारहीन, अव्यवहारिक एवं काल्पनिक आरोप लगाए जा रहे हैं जो खण्डित किए जाने लायक हैं। फिर भी, यदि भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष वास्तविक तथ्यों सहित कोई आरोप प्रस्तुत किया जाता है तो प्रशासनिक आधारों पर पूरी गंभीरता से उसकी जांच की जाएगी।

निर्वाचन आयोग बल देकर कहता है कि इसकी सदैव यह पुष्ट धारणा और संपूर्ण संतुष्टि है कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। वर्ष 2004, 2009 और 2014 में देशभर में हुए साधारण निर्वाचनों सहित, पिछले कई वर्षों में निर्वाचनों के संचालन के दौरान

मशीनों में इसका विश्वास न तो डगमगाया है और न ही कभी कम हुआ है। वास्तव में, आज तक यह कोई भी प्रदर्शित नहीं कर पाया है या सिद्ध नहीं कर पाया है कि आयोग द्वारा उपयोग में लाई गई ईवीएमों में कोई गड़बड़ या छेड़छाड़ की जा सकती है। जो कुछ भी प्रदर्शित किया गया या प्रदर्शित करने का दावा किया गया है वह प्राइवेट रूप से तैयार की गई "भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम जैसी दिखने वाली मशीन" पर था न कि आयोग की वास्तविक ईवीएम पर। तथापि, भारत निर्वाचन आयोग ने अपने मुख्यालय में निर्वाचन संचालन के किसी भी पहलू पर थोड़ा सा भी संदेह न होने देने एवं किसी भी स्थान पर किसी की आशंका को दूर करने की अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए वर्ष 2009 में मशीनों के उपयोग का अपेक्षित प्रदर्शन करने जैसा विशेष कदम उठाया था।

आज आयोग, एक बार फिर अपने इस विश्वास की पुष्टि करता है कि ईवीएम पूरी तरह से विश्वसनीय है। सदैव की भांति इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।

*****